



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062024-254586
CG-DL-E-06062024-254586

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2107]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2024/ज्येष्ठ 16, 1946

No. 2107]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2024/JYAISHTHA 16, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2024

(आयकर)

का.आ. 2209(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धाराओं(1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 की सं.ख्या का.आ.3125(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में अनुसूची-II में-

- कॉलम (4) में क्रम संख्या (9) के सामने, शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों "उत्तर प्रदेश राज्य में जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश (पूर्व) के क्षेत्राधिकार के साथ सहकालिक होगा" का लोप किया जाएगा;
- कॉलम (4) में क्रम सं. (10) के सामने, मौजूदा प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(4)
"(क) निम्नलिखित राजस्व जिलों (तत्पश्चात् इनसे अलग किए गए किसी भी जिले सहित) की सीमा के भीतर के क्षेत्र:
(i) कानपुर नगर
(ii) कानपुर देहात (रामाबाई नगर)
(iii) जालौन
(iv) हमीरपुर
(v) बांदा
(vi) चित्रकूट
(vii) महोबा
(viii) आगरा
(ix) मथुरा
(x) औरैया
(xi) फिरोजाबाद
(xii) झांसी
(xiii) ललितपुर
(xiv) इटावा
(xv) अलीगढ़
(xvi) फर्रुखाबाद
(xvii) कन्नौज
(xviii) एटा
(xix) हाथरस
(xx) मैनपुरी
(xxi) कांशीराम नगर
(xxii) मुजफ्फरनगर
(xxiii) शामली
(xxiv) सहारनपुर
(xxv) मेरठ
(xxvi) बागपत
(xxvii) गाजियाबाद
(xxviii) हापुड़ (पंचशील नगर)
(xxix) बुलंदशहर
(xxx) गौतम बुद्ध नगर; और
(ख) उत्तराखंड राज्य"

2. यह अधिसूचना दिनांक 6 जून, 2024 से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 50/2024/फा. सं. 187/ 6/2024 (आईटीए-1)]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

नोट : मूल अधिसूचना दिनांक 10 दिसंबर, 2014 की अधिसूचना का.आ. 3125(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
 (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2024

(Income-tax)

S.O. 2209(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3125 (E), dated the 10th December, 2014, namely:-

In the said notification, in Schedule-II,—

- (i) against Sl. No. 9, in column (4), the words, letters and brackets “in the State of Uttar Pradesh which will be coterminous with the jurisdiction of Principal Chief Commissioner of Income-tax, UP (East)” shall be omitted;
- (ii) against Sl. No. 10, in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely: —

(4)
“(a) Areas within the limits of following revenue districts (including any district carved out from these subsequently) of:
(i) Kanpur Nagar
(ii) Kanpur Dehat
(Ramabai Nagar)
(iii) Jalaun
(iv) Hamirpur
(v) Banda
(vi) Chitrakoot
(vii) Mahoba
(viii) Agra
(ix) Mathura
(x) Auraiya
(xi) Firozabad
(xii) Jhansi
(xiii) Lalitpur
(xiv) Etawah
(xv) Aligarh
(xvi) Farrukhabad
(xvii) Kannauj
(xviii) Etah
(xix) Hathras
(xx) Mainpuri
(xxi) Kanshiram Nagar
(xxii) Muzaffarnagar

- (xxiii) Shamli
(xxiv) Saharanpur
(xxv) Meerut
(xxvi) Baghpat
(xxvii) Ghaziabad
(xxviii) Hapur (Panchsheel Nagar)
(xxix) Bulandshahr
(xxx) Gautam Buddh Nagar; and
(b) the State of Uttarakhand”.

2. This notification shall come into force with effect from the 06th day of June, 2024.

[Notification No. 50/2024/F. No. 187/6/2024 (ITA-I)]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II. Section 3, sub-section (ii), vide notification S.O. 3125 (E), dated the 10th December, 2014.